8/7/25

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रा० पत्र 07 RIICO को स्वीकार कर हल्का प्रा० पत्र को खारिज किया जाता है कि विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया जावे। पत्रावली बाद तामील की अमल से बाद को पत्रावली जिला लेखा नजारत में शामिल हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
12/2025	06.06.2025	08.12.2025

बउनवान

1. प्रियंका पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दूनवास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. चितरू
2. भागीरथ
3. रामानन्द
4. शीशराम पुत्रान श्री श्योदान
5. मंजू बाई पत्नी सोनू जातियान जाट निवासीयान दूनवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी/अप्रार्थी वकील –: श्री अरूण पण्डित
अप्रार्थी/प्रार्थी वकील –: श्री रामावतार चौधरी

आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. यह है कि उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र अदालतं श्रीमान में विचाराधीन है। जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है।
2. यह है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी की आराजी ख०न० 210 रकबा 0.04 है0, वाके ग्राम दूनवास तह० मुण्डावर में से आराजी ख०न० 205 रकबा 0.01 है0, 206 रकबा 0.91 है0, के लिये रास्ता कायम कराने हेतु पेश किया हुआ है।
3. यह है कि प्रार्थीया आराजी ख0न0 205 रकबा 0.01 है0, 206 रकबा 0.91 है0, से गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा उक्त आराजी का खातेदार किशनलाल पुत्र भूपसिंह रहा है इसलिए गैर वास्ता व गैर काबिज व्यक्ति/महिला किसी भी प्रकार से किसी रिर्कोडेड खातेदार की आराजी में से रास्ता कायम कराने की अधिकारी नही है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।
4. यह है कि जब प्रार्थीया रिर्कोडेड खातेदार ही नही है तथा ना ही प्रार्थीया कभी हम अप्रार्थीगण की आराजी में से आवागमन ही किया है तो प्रार्थीया को प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पत्र हेतु कोई बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नही होती है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।

अतः अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 मिन प्रार्थीया की ओर से निम्न पेश है–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन 1 स्वीकार है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन 2 स्वीकार है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन 3 पूर्णतः अस्वीकार है क्योंकि मिन प्रार्थीया का ससुर बुजुर्ग व्यक्ति है तथा मिन प्रार्थीया का पति मानसिक रूप से अस्वस्थ है मिन प्रार्थीया के पास अपने आराजी तक आने जाने का खसरा नं0 210 से नजदीक कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थीया विधिक वारिसान की अधिकारी होने के कारण प्रार्थना पत्र पेश किया है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन 4 पूर्णतः अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीया व प्रार्थीया का ससुर संयुक्त परिवार मे रहते है। और मिन प्रार्थीया विधिक वारिस है। इसलिए प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी मे बिनायमुखास्मत पैदा हुआ है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश निवेदन है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे पर खारिज फरमाया जावें।

बहस (प्राथी/अप्रार्थी वकील की ओर से)
प्रार्थी/अप्रार्थी वकील श्री अरूण पण्डित द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया गया कि–
वादिनी/प्रार्थीया द्वारा आराजी खसरा नम्बर 205, 206 से रास्ता कायम कराने हेतु वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि वह इन खसरों की रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है और न ही कभी काबिज रही है।

वादिनी का कथन कि वह विधिक वारिस है, रिकॉर्डेड हक–हकूक साबित नहीं करता, तथा जब तक वारिसाना हक का प्रविष्टि सुधार/उत्तराधिकार इन्द्राज नहीं कराया गया है, वह किसी अन्य की भूमि में से रास्ता दिलाने हेतु सक्षम नहीं है। अतः वाद बेनियाद, बिनायमुखास्मत से रहित है तथा प्रथम दृष्टया ही वाद न्यायालय में विचारणीय नहीं है।

इसलिए आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत वाद को प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किया जाना न्यायोचित है।

बहस (अप्रार्थी/प्रार्थी वकील की ओर से)
अप्रार्थी/प्रार्थी वकील श्री रामावतार चौधरी द्वारा निवेदन किया गया कि–
प्रार्थीया का पति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तथा ससुर वृद्ध हैं। संयुक्त परिवार में रहने के कारण प्रार्थीया को अपने खेत खसरा नं. 210 तक आने–जाने के लिए कोई उपयुक्त रास्ता उपलब्ध नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
कुम्हावर (कोटपुतली-तिजारा)

प्रार्थीया को पारिवारिक एवं वारिसाना अधिकारों के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकारी मानना चाहिए। अतः आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना चाहिए।

संक्षिप्त विवेचन :–
विवेचनार्थ यह प्रश्न प्रमुख है कि –
क्या वादिनी/प्रार्थीया, जो विवादित खसरा नम्बर 205 एवं 206 की रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है तथा न ही काबिज है, वह इन आराजियों से रास्ता प्राप्त करने हेतु वाद दायर करने का अधिकारी है?

प्रार्थी/अप्रार्थीगण द्वारा यह आपत्ति उठाई गई है कि वादिनी इन खसरों पर न तो किसी प्रकार का रिकॉर्डेड हक रखती है और न ही कब्जा रखती है। अतः वह एक "अवास्तविक/गैर–काबिज व्यक्ति" के रूप में किसी अन्य की भूमि से रास्ता मांगने हेतु सक्षम नहीं है। वादिनी ने उत्तर में यह कहा कि उसके पति/ससुर संयुक्त परिवार में रहते हैं तथा वह विधिक वारिस है।

किन्तु रिकॉर्ड में वादिनी का नाम एक भी विवादित खसरा नम्बर पर दर्ज नहीं है, न ही उसने उत्तराधिकार/इन्द्राज का कोई आदेश अथवा प्रमाण प्रस्तुत किया है, न ही यह दर्शाया है कि उसे किसी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उस भूमि पर कोई हक–हकूक प्राप्त है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा स्थापित विधिक सिद्धान्त यह स्पष्ट करते हैं कि – गैर–रिकॉर्डेड व्यक्ति किसी अन्य की भूमि में हस्तक्षेप/रास्ता दिलाने हेतु वाद दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं रखता, वाद अधिकार–कानूनी क्षमता (locus standi) के अभाव में प्रारम्भ से ही विचारणीय नहीं होता, ऐसा वाद आदेश 7 नियम 11 CPC के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया खारिज किया जाना अनिवार्य है।

वादिनी द्वारा "विधिक वारिस" होने का मात्र मौखिक दावा, बिना किसी राजस्व रिकॉर्ड, इन्द्राज या आदेश के, वाद को विचारणीय बनाने हेतु पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

अतः वाद तथा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया बेनियाद, बिनायमुखास्मत एवं विचारणातीत पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है। चूँकि वादिनी/प्रार्थीया विवादित खसरा नं. 205 एवं 206 की न तो रिकॉर्डेड खातेदार है, न काबिज है, और न ही कोई विधिक हक–हकूक का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, अतः वाद प्रथम दृष्टया अधिकार–क्षमता (locus standi) से रहित है तथा विचारणीय नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (कोटकासिम-तिजारा)

अतः वादिनी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है। हर्जाना एवं खर्चा अपने–अपने जिम्मे किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा),

किस्म मुकदमा ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	8/7/25 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। के द्वारा आ०प० के आ०प० 07 R 11 CPC स्वीकार होने पर खारिज है। सुना ... इस आ०प० कि अग्रिम कार्यवाही की जावे कि जाती है। पत्रावली पेश ... सुनवाई हेतु ... पत्रावली ... 2025 पेश 21/07/25 [signature] उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

8/11/25

वकील सरकार उदय धारा है कुल
प्रणाली मे केन्द्रीय ... लोप किया गया है जी
जनपद कि न्यायिक कार्यवाही के लोप कि जा
होती स्थिति मे इस प्रणाली कि गति कार्यवाही
के लोप कि जाती है प्रणाली के चलन अनुसार
के अवसर पे कम होकर प्रणाली जनता लोक
न्याय मे शामिल